बिहार सरकार
<u>श्रम संसाधन विभाग</u>

अधिसूचना

एस0ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एस0ओ0-323 दिनांक-03.12.2008-सह-अधिसूचना संख्या-3985 दिनांक-07.08.2008 द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का पुनर्गठन किया गया है।

उपर्युक्त गठित पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अधिसूचना की कंडिका-4 में वर्णित यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-3985 दिनांक-07.08.2008 द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का निम्न रूप में पुनर्गठन करती है :-

<u>स्वतंत्र सदस्य</u>

(1)	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	-	अध्यक्ष
(2)	श्रमायुक्त, बिहार	-	सचिव-सह-संयोजक
(3)	निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय, बिहार, पटना।	-	सदस्य
(4)	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(5)	नगर विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि।	-	सदस्य
(6)	कृषि विभाग, बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(7)	औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंध विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(8)	पर्यावरण एवं वन विभाग, के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य

<u>नियोजकों के प्रतिनिधि</u>

(1) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।
(2) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ (COMFED)।
(3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम।
(4) पी0के0अग्रवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना।
(5) सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना।
(6) आर0एल0 खेतान, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।
(7) अरूण अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना।
(8) अनिल चमरिया, सत्कार होटल, कटिहार।
(9) डॉ0 कुमार अरूणोदय, आचार्य सुदर्शन फाउण्डेशन, पटना।
(10) महाप्रबंधक, बाटा इंडिया लि0, शाखा पटना।
(11) नरेश भट्ट, सचिव, बिहार चीनी मिल एसोसियेशन।
(12) अखिलेश कुमार, प्रबंध निदेशक, गंगा डेयरी, बेगूसराय।

<u>नियाजितों के प्रतिनिधि</u>

(1) श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, रिफाईनरी मजदूर यूनियन, बरौनी।
(2) डॉ0 सियाराम शर्मा, अध्यक्ष, खेतिहर मजदूर संघ, पश्चिम बिहार, रंजन पथ, बेली रोड, पटना।
(3) श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह, महासचिव, अग्रगामी असंगठित मजदूर यूनियन।
(4) श्री विकास सिंह, अध्यक्ष इंटक (जूट मिल), कटिहार।
(5) श्री राकेश चौधरी, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ (जूट मिल), कटिहार।
(6) श्री प्रमोद कुमार, अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर, बिहार राज्य कमिटि, मेनका मार्केट, प्रथम तल्ला, नाला रोड, पटना।
(7) श्री अरूण कुमार मिश्रा, भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र, सूर्या पैलेस, जमाल रोड, पटना।
(8) श्री श्रीवास्तव अविनाश प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश, क्वार्टर नं0-1, रोड नं0-1, गर्दनीबाग, पटना।
(9) सलोनी, सचिव, घरेलू कामगार संघ, कुल्हरिया कम्पलेक्स, 5, बी0-1, अशोक राजपथ, पो0-बांकीपुर, पटना-4
(10) राज्य समन्वयक, नेशनल एसोसियेशन ऑफ स्ट्रीट भेन्डर्स ऑफ इंडिया (NASVI), शाखा पटना-।
(11) मेसर्स एस0के0नसीरूद्दीन, बीड़ी कम्पनी प्रा0लि0, बिहारशरीफ, नालंदा।
(12) राज्य समन्वयक, सेवा भारत।

2. समिति का मुख्यालय पटना में रहेगा।

3. समिति की अवधि दो वर्षो की होगी परन्तु दो वर्षो की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अगला पुनर्गठन होने तक उक्त समिति कार्य करती रहेगी।

4. चूँकि यह समिति वैद्यानिक (Statutory) है। अतएव बिहार दैनिक भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-144 (1) के अन्तर्गत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1524 दिनांक-10.03.2000 के कंडिका-3 (ए) (ii) में अंकित वेतन सीमा (8000 रूपया एवं इसके अधिक किन्तु 16400 रूपया से कम) तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0-922 दिनांक-29.01.2010 के आलोक में समिति के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ बैठक हो रही है, के निमित द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी माने जाएंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता देय होगा :-

1. रेल यात्रा -	(i)	सभी ट्रेनों के लिए	ए0सी0 2 टायर
	(ii)	राजधानी एक्सप्रेस	तदैव
	(iii)	शताब्दी एक्सप्रेस	ए0सी0 कर्सीयान

2. सड़क यात्रा- गैर ए0सी0 टैक्सी/बस
3. (i) दैनिक भत्ता (अन्य शहरों के लिए) सामान्य- रूपया 200/-
   (ii) होटल - रूपया 1000/-
4. सदस्य को यह यात्रा विराम भत्ता उसी दशा में अनुमान्य होगा जब वे यह प्रमाणित कर देंगे कि उन्होंने जिस यात्रा/विराम भत्ता के लिए दावा किया है; उसके संबंध में उन्होंने दूसरे श्रोत से कोई यात्रा/विराम भत्ता नहीं लिया है।
5. श्रमायुक्त, बिहार समिति के सचिव-सह-संयोजक गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
6. इसका आय व्यय-व्यय शीर्ष-"2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0013-सरकार द्वारा गठित समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता विपत्र कोड-एन0 - 2052000900013 के अन्तर्गत यात्रा व्यय इकाई से विकलनीय होगा।
7. यात्रा भत्ता के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को अग्रसारित की जाय।

(5/एम0डब्लू0-1025/2010 श्र0सं0-271)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार नं0-1)

सरकार के अवर सचिव।

- 23/1/15 -

D:/- Section-2 Computer- Minimum Wages meeting-26

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-1025 /2010 श्र0सं0- 271 पटना, दिनांक- 27.1.15

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

23.1.15
(अरूण कुमार नं0-1)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-1025 /2010 श्र0सं0- 271 23/1/15 पटना, दिनांक- 27.1.15

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

23.1.15
(अरूण कुमार नं0-1)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-1025 /2010 श्र0सं0- 271 23/1/15 पटना, दिनांक- 27.1.15

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /उप कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूवना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

23.1.15
(अरूण कुमार नं0-1)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-1025 /2010 श्र0सं0- 271 23/1/15 पटना, दिनांक- 27.1.15

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.1.15
(अरूण कुमार नं0-1)
सरकार के अवर सचिव।
23/1/15